संख्या– 79/xxxii(1)/2012/01(दो)–61/निर्माण/प्लान/2013–14

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 20 जनवरी, 2014

विषयः– राज्य अतिथि गृह नैनीताल के अन्तर्गत पार्किंग एवं दो कक्षों के सूइटों के निर्माण (द्वितीय चरण) के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयकं मुख्य अभियन्ता, (कु0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांकः–7672/2 भवन–(II)–कु0/12, दिनांक 21 सितम्बर, 2012 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राज्य अतिथि गृह नैनीताल के अन्तर्गत पार्किंग एवं दो कक्षों के सूइटों के निर्माण (द्वितीय चरण) के कार्य** हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 में ₹ 162.81 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0, वित्त विभाग द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 139.45 लाख एवं **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008** के अनुसार ₹ 20.75 लाख **अर्थात कुल** धनराशि **₹ 160.20 लाख** (₹ एक करोड़, साठ लाख, बीस हजार मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष **शासनादेश संख्या–664/xxxii(1)/01(एक)–01/बजट–मुख्य/2013–14, दिनांक 18 अप्रैल 2013 एवं अलोटमेंट** आई डी–**H1304070512 दिनांक 17 अप्रैल 2013 शासनादेश संख्या–1595/xxxii(1)/01(एक)–01/बजट–मुख्य/(प्रथम अनुपूरक)/2013–14 दिनांक 30 अक्टूबर 2013 एवं अलोटमेंट** आई डी–**H1310071196 दिनांक 23 अक्टूबर 2013 द्वारा आपके निर्वतन पर** रखी गई धनराशि में से **प्रथम किश्त** के रूप में **₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख** मात्र) को व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा धनराशि **₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख** मात्र) का आहरण कर चैक/बैंक ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, **नैनीताल** के नाम बनाते हुए उन्हे उपलब्ध कराया जायेगा।

3– प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि **₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख** मात्र) का निम्न शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त कार्य एवं कार्य से संबंधित सामग्रियों के कय एवं भुगतान के संबंध में **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में प्राविधानित नियमों एवं दिशा** निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

5– कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/xxxii(1)/2008 **दिनांक 15.12.2008** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर **एम0ओ0यू0** कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

6– निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2013–2014 में यथाशीध्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर अथवा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

8– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

9– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य की अनुमन्यता निर्धारित मानकों के अनुसार है, यह भी कृपया सुनिश्चित किया जाय।

10– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11– उक्त से संबंधित कार्य सम्पादन तथा सामग्रियों के कय के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायें।

13– आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गई है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय नही की जाय।

14– कार्यदायी संस्था द्वारा **वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी, राज्य अतिथि गृह नैनीताल से उक्त आवासीय भवनों में संतोषजनक/संतुष्टिपरक/गुणवत्ता पूर्वक** कार्य किये जाने का **प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही **अगली किश्त** अवमुक्त की जायेगी।

15– **प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण** विभाग द्वारा कार्य समय से पूर्ण एवं गुणवत्ता हेतु समय–समय पर **वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित** किया जायेगा।

16– यदि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यो हेतु धनराशि आदि की **पुनरावृत्ति की गई होगी तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था** का होगा।

17– आवासीय/अनावासीय भवनों में **अनुरक्षण/मरम्मत/निर्माण कार्यो हेतु एक रजिस्टर बनाया जाय जिसमें किये गये कार्यो को अंकित** किया जाय।

18– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

19– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2013–2014 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय–**आयोजनागत**–02–शहरी आवास–800–अन्य भवन–**03–राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन** निर्माण–24–वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

20– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–68**P**/xxvii(5)/2013–14, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 79 (1)/**xxxii**(1)/2012/01(दो)–61/निर्माण/प्लान/2013–14 तद्दिनांक ।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2– **वित्त अधिकारी,** केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, **23 लक्ष्मी रोड**, डालनवाला।
3– प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4– **मुख्य अभियन्ता, (कु0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा**
5– अधीक्षण अभियन्ता, **द्वितीय वृत्त**, लो0नि0वि0, नैनीताल।
6– अधीक्षण अभियन्ता, **वि0/यां0** खण्ड, **5वॉ वृत्त**, लो0नि0वि0, हल्द्वानी, नैनीताल।
7– **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।**
8– **अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भीमताल, नैनीताल।**
9– मुख्य व्यवस्थाधिकारी सीनियर ग्रेड,राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून को इस निर्देश के साथ कि **एन.आई.सी.** में अपलोड करायें।
10– वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी,राज्य अतिथि गृह नैनीताल।
11– वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग/बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
12– **सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग–4,** उत्तराखण्ड शासन।
13– निदेशक **एन.आई.सी** सचिवालय परिसर।
14– वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग/बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय,उत्तराखण्ड शासन।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
उप सचिव।